

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 22.10.83

NOTIFICATION
INCOME TAX

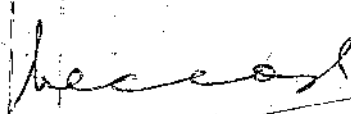
Nb. 5431 (F.No.203/170/82-ITA.II): In continuation of this Office Notification No.4185 (F.No.203/134/79-ITA.II) dtd.20/8/81, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:-

- i) That the K.M. Scientific Research Centre, Faizabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

K.M. Scientific Research Centre, Faizabad.

This notification is effective for a period from 17.1.83 to 30-6-1984.


(M. G. C. GOYAL)

Malik/

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार
वित्त पंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, २२ अक्टूबर १९८३

अधिसूचना
(आयकर)

सं० ५४३१ (फ०सं० २०३/१७०/८२-आ०क०नि०-११) : इस कार्यालय की दिनांक २०-८-८१ की अधिसूचना सं० ४१८५ (फ०सं० २०३/१३४/७९-आ०क०नि०-११) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर विभाग १९६२ के नियम ६ के साथ पठित आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ३५ की उप-धारा (१) के अंडर (११) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्राप्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रदर्श के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :-

- यह कि के०एम० साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, फैजाबाद, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का प्रयोग लेता रहेगा।
- यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रियाश्रमों की वार्षिक वितरणी, विहित प्राधिकारी से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्राप्ति वर्ष ३० अक्टूबर, तक ऐसे प्रमाण में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सुचित किया जाए।
- यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए आने संवर्धित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परीक्षाओं, देवदारियां दर्शाने हुए ३० जून तक तुल्य-एत की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष/विहित प्राधिकारी से प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर अधिकृत को भेजना।

संस्था

के०एम० साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, फैजाबाद।

यह अधिसूचना १७-१-१९८३ से ३०-६-१९८४ तक प्रभावी है।

अर्थ की अवधि के लिए

अ. ६८३ १०५८
(सं० १०५१० गायल)

अवर सचिव, भारत सरकार

* शर्मा *